[2022] 4 एस. सी. आर. 309

कृषि उत्पाद विपणन समिति

बैंगलोर

वी.

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

(सिविल अपील सं। 1345-1346 2022 का)

22 मार्च, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: धारा 24 (2) कार्यवाहियों की समाप्ति-अंतरिम आदेश के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया-यदि उच्च न्यायालय या यहां तक कि दीवानी अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के कारण अधिनिर्णय पारित करने में देरी होती है, जहां अधिग्रहण निकायों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया हो सकता है, तो भूमि मालिक

इसका लाभ इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता है कि यह तर्क दिया जाए कि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप मुआवजे का कोई भुगतान या जमा नहीं किया गया था और अधिग्रहित भूमि का कब्जा उनके पास बना रहा-भूमि मालिकों ने अधिग्रहण के खिलाफ उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में अपने पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेशों का लाभ उठाया है, वे एस के तहत लाभ नहीं ले सकते हैं। 24 (2) अधिनियम, 2013 का।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.14 r। 2- निर्णय

प्रारंभिक मुद्दे के साथ-साथ सभी मुद्दों पर-अदालतों को सभी मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए और सभी मुद्दों पर अपने निष्कर्ष देने चाहिए और केवल किसी एक मुद्दे पर निर्णय नहीं देना चाहिए -

उद्देश्य अपीलीय न्यायालय पर बढ़ते बोझ से बचना है और कई मामलों में यदि निर्णय किए गए मुद्दे पर निर्णय गलत पाया जाता है और अन्य मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं होता है और न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय के पास अपने नए निर्णय के लिए मामले को रिमांड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा-इसलिए, ऐसी घटना से बचने के लिए, अदालतों को किसी मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर निर्णय लेना होगा और इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय देना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देना और मामलों को उच्च न्यायालय को प्रेषित करना, न्यायालय

पकड़नाः 1. इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के समक्ष इसकी वैधता पर कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे।

अधिग्रहण की कार्यवाही में, एकल न्यायाधीश ने केवल एक मुद्दे पर निर्णय लिया, अर्थात्, क्या अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गई है। जबकि कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे और इस तरह मूल राहत मांगी गई थी (अधिग्रहण) अधिनियम 1894) के तहत कार्यवाही मुख्य राहत थी जिन पर विचार करने और विचार करने की आवश्यकता थी, दुर्भाग्य से, एकल न्यायाधीश ने अन्य मुद्दों/आधारों पर निष्कर्ष नहीं दिए और केवल एक राहत/आधार पर विचार करते हुए रिट याचिकाओं की राहत मांगी और उनका निपटारा किया, अर्थात्, क्या अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गई है। जब अन्य मुद्दों/आधारों पर कई प्रस्तुतियाँ की गई थीं, तो उच्च न्यायालय को अन्य मुद्दों पर विचार करना चाहिए था और अन्य मुद्दों पर भी निष्कर्ष देने चाहिए थे। अन्य मुद्दों पर निर्णय नहीं लेने और केवल एक मुद्दे पर मामले का निर्णय नहीं लेने के कारण और उसके बाद जब ऐसे एक मुद्दे पर निर्णय को कानून की दृष्टि से गलत माना जाता है, तो न्यायालय के पास अन्य सभी मुद्दों पर रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामलों को एकल न्यायाधीश को भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। [पैरा 8.2] [322-ई-एच; 323-ए-बी]

नुस्ली नेविल वाडिया बनाम। आइवरी प्रॉपर्टीज एंड ओआरएस, (2020) 6

एस. सी. सी. 557 [2019] 15 एस. सी. आर. 795-पर निर्भर था।

2. भूमि मालिकों द्वारा धारा 24 (2) के आधार पर अधिग्रहण की समाप्ति की मांग करते हुए नए मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति रही है।

अधिनियम, 2013, हालांकि ऐसे भूमि मालिकों ने पहले अधिग्रहण अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए असफल रिट याचिकाएं दायर की होंगी। ऐसे भूमि मालिकों को अधिग्रहण प्रक्रिया में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेशों का लाभ मिला होगा। या बेदखल करने के परिणामस्वरूप पुरस्कार देने और मुआवजे का भुगतान/जमा करने में देरी होती है और इसके परिणामस्वरूप अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया जाता है। उच्च न्यायालय या यहां तक कि दीवानी अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के कारण पुरस्कार पारित करने में देरी होने के कारण, जहां अधिग्रहण निकायों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हो सकते हैं, भूमि मालिक अब कृषि उत्पाद विपणन समिति बैंगलोर v.

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

इसका लाभ उठाएँ ताकि यह तर्क दिया जा सके कि कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप मुआवजे का कोई भुगतान या जमा नहीं किया गया है और अधिग्रहित भूमि का कब्जा उनके पास बना हुआ है। अधिग्रहण के खिलाफ उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में अपने पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेशों का लाभ प्राप्त करने वाले भूमि मालिक धारा के तहत लाभ नहीं ले सकते हैं। 24 (2) अधिनियम, 2013 का। उच्च न्यायालय या दीवानी अदालतों, जिन्होंने भूमि मालिकों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिए हैं, उन्हें भूमि मालिकों के पक्ष में अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) लागू करने से पहले उपरोक्त पहलू पर विचार करना चाहिए। [पैरा 9] [326 सी-जी]

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल और अन्य। , (2020) 8 एससीसी 129: [2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया। पुणे नगर निगम बनाम। हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी (2014) 3 एससीसी 183 [2014] 1 एससीआर 783 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2020] 3 एससीआर 1

पैरा 4.7

पीछा किया।

[2019] 15 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पैरा 8.3

[2014] 1 एससीआर 783

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 1345

1346 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 13.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के डब्ल्यू. ए. No.1732 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार का आदेश और 2017 के आर. पी. No.539 में दिनांकित <आई. डी. 3 का आदेश।

के साथ 2022
की सिविल अपील Nos.1347-1374।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. नंदा किशोर, टी. एस. सबरिश, विष्णु

उन्नीकृष्णन, सुश्री अंकिता गुप्ता, सुश्री मनाली त्रिपाठी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, प्रताप

वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी के लिए विजय वाल्सन, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है और जैसा कि एक ही पक्ष के बीच होता है, इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है। 2. अपीलार्थी द्वारा यहाँ प्रस्तुत संबंधित रिट अपीलों में विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना -

कृषि उपज विपणन समिति, बैंगलोर (इसके बाद "एपीएमसी" के रूप में संदर्भित), जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट अपीलों को खारिज कर दिया है और निजी उत्तरदाताओं द्वारा यहां मूल भूमि मालिकों द्वारा पसंद की गई संबंधित रिट याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश की पुष्टि की है और घोषणा की है कि इसमें भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत प्रश्न समाप्त हो गया है। अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित), एपीएमसी, बैंगलोर ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः -

3.1 कि विचाराधीन भूमि तीन भागों में अधिग्रहित की गई थी। द.

पहला अधिग्रहण प्रतिवादी संख्या 4-जमनलाल बजाज सेवा ट्रस्ट (संक्षेप में "ट्रस्ट") के स्वामित्व वाली 172 एकड़ 22 गुंटा भूमि के संबंध में था। दूसरा अधिग्रहण 104 एकड़ 5 गुंटा भूमि के संबंध में था जो बहुत ही प्रतिवादी संख्या 4-ट्रस्ट के स्वामित्व में थी और तीसरा अधिग्रहण 3 एकड़ 34 गुंटा भूमि के संबंध में था (जो इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय नहीं है)।

3.2 पहले और दूसरे अधिग्रहण के संबंध में प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैंः -

172 एकड़ के संबंध में 22 गुंटे (पहला अधिग्रहण)

3.2. 1 कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 (1) के तहत 172 एकड़ 22 गुंटा भूमि के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।

प्रतिवादी संख्या 4-अपीलार्थी-ए. पी. एम. सी., बैंगलोर द्वारा एक विशाल बाजार की स्थापना के लिए श्रीगंडडकवल गाँव, यशवंतपुरा होबली, बेंगलुरु में न्यास।

कृषि उत्पाद विपणन समिति

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

3.2. 2 एक राजाजीनगर हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने धारा 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।

कर्नाटक का न्यायालय रिट याचिका No.28988/1994 के माध्यम से। उक्त सोसायटी की ओर से यह मामला था कि भूमि का अधिग्रहण उनके लिए किया जाना चाहिए न कि एपीएमसी के लिए। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.1995 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। 3.3. 3 इसके बाद अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना/घोषणा 10.10.1996 पर जारी की गई और 13.10.1996 पर प्रकाशित की गई। ए.

12.08.1998 पर 172 एकड़ 22 गुंटा भूमि के संबंध में मसौदा पुरस्कार तैयार किया गया था।

3.3. 4 भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों पर, अपीलार्थी-एपीएमसी ने अधिग्रहण की अनुमानित लागत के लिए 19.08.1998 पर रु. 9,14,14,873/- जमा किए।

अधिग्रहण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का एकतरफा आदेश दिया गया दिनांकित आदेश 16.09.1998। इसके बाद प्रत्यर्थी नं. 4 - अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए मूल भूमि मालिक ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका No.3884/1998 दायर की। 08.02.1999 दिनांकित अंतरिम आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने बेदखल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया।

104 एकड़ के संबंध में 5 गुंटे (दूसरा अधिग्रहण)

3.4 कि अधिनियम, 1894 की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 4 (1) के तहत सुनवाई की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी।

अपीलार्थी-ए. पी. एम. सी. द्वारा एक विशाल बाजार की स्थापना के लिए 104 एकड़ 5 गुंटा भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 4-हेरोहल्ली गाँव, यशवंतपुरा होबली, बैंगलोर उत्तर तालुक में न्यास। धारा 17 (1) से 17 (4) के साथ पठित धारा 6 (1) के तहत एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 104 एकड़ 5 गुंटे में से 100 एकड़ 11 गुंटे के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे 13.04.1999 पर धारा 4 (1) के तहत अधिसूचित किया गया था, जिससे 3 एकड़ 34 गुंटे का क्षेत्र अधिग्रहण से बाहर हो गया था। धारा 5 ए के तहत जांच को समाप्त कर दिया गया था।

3.4. 1 उस एक विश्वनीदम न्यास ने उक्त अधिग्रहण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका No.708/2000 दायर की। उच्च न्यायालय ने हेरोहल्ली गाँव में स्थित 100 एकड़ 5 गुंटा में से 35 एकड़ के संबंध में बेदखल करने पर रोक लगा दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.4. 2 प्रत्यर्थी संख्या 4-ट्रस्ट-मूल भूमि मालिक ने हेरोहल्ली गाँव में भूमि के संबंध में दिनांकित 13.04.1999 और 26.10.1999 अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए रिट याचिका No.37140/2000 दायर की।

3.4. 3 अपीलार्थी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एक अधिकारी के माध्यम से कब्जा ले लिया गया और एपीएमसी को सौंप दिया गया

65 एकड़ के संबंध में अधिकार ज्ञापन दिनांक 06.10.2000 19

हेरोहल्ली गाँव की भूमि के गुंटे।

3.4. 4 कि राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस. एल. ए. ओ.) द्वारा 22.05.2002 पर, धारा 6 अधिसूचना दिनांक 26.10.1999 द्वारा कवर किए गए 100 एकड़ 11 गुंटे के संबंध में, एक सरकारी आदेश दिनांक 26.03.2002 का उल्लेख करते हुए एक पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार में प्रत्यर्थी संख्या 4 को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किया गया-अधिग्रहित भूमि के 34 एकड़ 14 गुंटे को सरकार से संबंधित फुट खरब के समान मानने के बाद और विश्वनीदम ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में 35 एकड़ को हटाने के बाद ट्रस्ट।

निष्कासन उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। उक्त मुआवजे को प्रतिवादी संख्या 4 ने विरोध के तहत स्वीकार कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या 4-न्यास-मूल भूमि मालिक ने मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए भूमि अधिग्रहण मामला संख्या 1/2003 दायर किया जो लंबित प्रतीत होता है।

3.5 इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 4-मूल भूमि मालिक द्वारा दायर रिट याचिका No.3884/1998 172 एकड़ 22 गुंटा भूमि के संबंध में थी। लिखें। याचिका Nos.37140-37146/2000 100 एकड़ भूमि के संबंध में थी और दूसरे अधिग्रहण (भाग) के संबंध में विश्वनीदम ट्रस्ट द्वारा रिट याचिका No.708/2000 दायर की गई थी।

3.6 सभी रिट याचिकाओं पर अपीलार्थी-ए. पी. एम. सी. द्वारा आपत्तियों का एक सामान्य बयान दायर किया गया था। 3.7 कि ए. पी. एम. सी. ने डब्ल्यू. पी. No.37140/2000 में आई. ए. No.01/2007 दाखिल किया, ताकि ए. पी. एम. सी. को 65 एकड़ 11 गुंटा में से 9 एकड़ भूमि सौंपने की अनुमति दी जा सके।

3.8 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विचाराधीन भूमि और प्रतिवादी संख्या 4-ट्रस्ट के स्वामित्व वाली अन्य भूमि के संबंध में, भूमि सुधार न्यायाधिकरण, बैंगलोर एन. तालुक के समक्ष कार्यवाही लंबित थी। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य और ए. पी. एम. सी. की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि जब तक कि कार्यवाही कृषि उत्पाद विपणन समिति की न हो।

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम (के. एल. आर. अधिनियम) के तहत निपटाया जाता है,

मुआवजे को जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि अंततः यह माना जाता है कि अधिग्रहित भूमि के. एल. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त खाली भूमि है, तो उस मामले में, उक्त भूमि राज्य सरकार के पास निहित होगी और इसलिए, कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इसलिए, क्योंकि सरकार पुरस्कार देने या देने के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी क्षतिपूर्ति इस आधार पर कि भूमि सुधार न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, उसी आदेश दिनांक 21.03.2007 द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण को तीन महीने के भीतर KLR अधिनियम की धारा 66 के तहत आवेदन No.LRF 2099/74-75 का निपटान करने का निर्देश दिया।

3.9 एपीएमसी को 9 एकड़ भूमि बीडीए को सौंपने की अनुमति देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21.03.2007 पर पारित आदेश

और बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. को 4 एकड़ भूमि को रिट अपील No.1011/2007 के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी। कुछ सहयोगी अपीलों के साथ उक्त अपील का डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से निपटारा किया गया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश को सभी संबंधित रिट याचिकाओं पर अंततः निर्णय लेने का निर्देश दिया गया और सभी याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक डिवीजन बेंच द्वारा दी गई अंतरिम रोक को जारी रखा गया। 3.10 इसके बाद ए. पी. एम. सी. ने आई. ए. No.03/2008 दायर कर लगभग 65 एकड़ भूमि पर दीवार बनाने की अनुमति मांगी, जिसे दिनांक 12.02.2009 के आदेश के अनुसार अनुमति दी गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद एपीएमसी ने बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है।

भूमि सुधार न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही

3.11 कि भूमि सुधार न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने के. एल. आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही में दिनांक 12.01.2010 का एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 4-ट्रस्ट की भूमि उक्त अधिनियम के तहत अतिरिक्त भूमि थी।

3.11. 1 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रिट याचिका No.4311/2010 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से नए सिरे से विचार करने के निर्देश के साथ न्यायाधिकरण को कार्यवाही भेजी। 3.11. 2 रिमांड पर न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 का एक नया आदेश पारित किया और घोषणा की कि प्रतिवादी संख्या 4-ट्रस्ट के पास 265 एकड़ 24 गुंटा भूमि अतिरिक्त भूमि थी। कि न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 22.09.2015 द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय और [2022] 4 एस. सी. आर. के समक्ष चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 1 के पारित आदेश को रद्द कर दिया और एक बार फिर मामले को न्यायाधिकरण को भेज दिया।

3.11. 3 कि न्यायाधिकरण ने 28.11.2017 दिनांकित एक नया आदेश पारित किया और घोषित किया कि 354 एकड़ 10 गुंटा अतिरिक्त भूमि थी। न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 28.11.2017 द्वारा पारित आदेश फिर से रिट याचिका No.55344/2017 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था। दिनांक 30.06.2021 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के दिनांकित 28.11.2017 के आदेश को रद्द कर दिया है। यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिखित याचिका No.55344/2017 में पारित दिनांक 30.06.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ, राज्य ने W. A. No.1089/21 के रूप में एक रिट अपील को प्राथमिकता दी है, जो उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लंबित है।

3.12 कि उपरोक्त सभी रिट याचिकाएँ डब्ल्यू. पी. No.3884/हैं

1998 (172 एकड़ भूमि के संबंध में), डब्ल्यू. पी. सं. 37140-37146 / 2000 (100 एकड़ भूमि के संबंध में) और अन्य रिट याचिकाओं डब्ल्यू. पी. No.708/2000 और 19579-19585/2001 को एक साथ जोड़ा गया था। उपरोक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अधिनियम, 2013 लागू हुआ। इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 2013 के लाभ को लागू करने के लिए दिनांक 24.02.2014 पर एक आवेदन प्रस्तुत किया और आग्रह किया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उसे उपलब्ध होगा।

3.13 कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित बिंदुओं को तैयार किया

विचार के लिए: -

क्या इन याचिकाकर्ताओं के निपटान को स्थगित किया जाना चाहिए

ए।

भूमि न्यायाधिकरण, बैंगलोर उत्तर तालुक द्वारा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत या अन्यथा अतिरिक्त जोत का निर्णय और निर्धारण लंबित है।

बी।

क्या विचाराधीन भूमि के किसी हिस्से का कब्जा

कहा जा सकता है कि एपीएमसी को दिया गया है

वैध और कानून के अनुसार।

क्या एल. ए. अधिनियम की धारा 17 का आह्वान

सी।

एक ही उद्देश्य के लिए भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण

उचित था।

क्या अधिग्रहण प्राधिकरण स्थगन रख सकता है

डी।

कृषि उत्पाद विपणन समिति को मुआवजे की राशि का भुगतान या जमा करने का आदेश

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित निपटान

भूमि के संबंध में। क्या अधिग्रहण की कार्यवाही पुण्य के आधार पर समाप्त हो गई है

ई.

2013 अधिनियम।

3.14 यद्यपि इसके बाद अधिनियम, 1894 के तहत कार्यवाही पर कुछ टिप्पणियां की गईं, लेकिन अंत में विचार के लिए बनाए गए किसी अन्य बिंदु पर निर्णय लिए बिना, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को यह मानते हुए अनुमति दी है कि संबंधित अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गए हैं।

3.15 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24.06.2014 धारण करके पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत संबंधित अधिग्रहण समाप्त हो गए हैं, एपीएमसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपीलों को प्राथमिकता दी। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने वाली उक्त अपीलों को यह घोषणा करते हुए खारिज कर दिया है कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गया है।

3.16 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

संबंधित रिट अपील No.1732/2014 और अन्य अपीलों के साथ, एपीएमसी, बैंगलोर ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

4. अपीलार्थी-ए. पी. एम. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने जोरदार तर्क दिया है कि तथ्यों में और

24 (2) अधिनियम, 2013 का। 4.1 यह भी तर्क दिया जाता है कि 172 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को देखते हुए कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया था

विभिन्न कार्यवाहियों में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) लागू नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने यह घोषित करने में गलती की है कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक अधिग्रहण के संबंध में है

हेरोहल्ली गाँव में स्थित 100 एकड़ भूमि का संबंध है, 65 एकड़ भूमि के संबंध में पुरस्कार घोषित किया गया और कब्जा भी ले लिया गया। इसके अलावा, मुआवजे की राशि जमा की गई और [2022] 4 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी-मूल भूमि मालिक ने रु। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गया है।

4.3 यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि 172 एकड़ के अधिग्रहण के संबंध में और

100 एकड़ भूमि में से शेष 35 एकड़ भूमि, विभिन्न कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों को देखते हुए पुरस्कार घोषित नहीं किए जा सके। इसलिए, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) (ए) के उद्देश्य के लिए, जिस अवधि के दौरान स्थगन आदेश लागू किए जा रहे हैं।

संचालन में थे उन्हें बाहर करना होगा।

4.4 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का संबंध है कि अपीलकर्ता मुआवजे की राशि जमा करने के लिए तैयार नहीं था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि एपीएमसी के लिए मुआवजे की पूरी राशि जमा नहीं करने का एक बहुत ही वैध कारण और/या औचित्य था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में के. एल. आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी

खाली भूमि हो या न हो और इसलिए भूमि सुधार अधिनियम के तहत कार्यवाही के परिणाम तक इंतजार करना उचित समझा गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त कारण अपीलार्थी के खिलाफ इस आधार पर नहीं बताया जा सकता है कि अपीलार्थी क्षतिपूर्ति जमा करने/भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था। 4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि 65 एकड़ भूमि के संबंध में कब्जा अवैध था, जिसे अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत आवश्यक मुआवजे के 80 प्रतिशत के जमा का अनुपालन नहीं करते हुए तत्काल खंड का आह्वान करके लिया गया था।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के विवादित फैसले और आदेश में उच्च न्यायालय ने इसे बिल्कुल भी रद्द और दरकिनार नहीं किया है

अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत क्रमशः 172 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के संबंध में अधिसूचनाएं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1894 के तहत कार्यवाही पर कुछ चर्चा के बाद, उच्च न्यायालय ने सीधे अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि दोनों भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं। 4.7 इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में रिपोर्ट की गई।

कृषि उत्पाद विपणन समिति

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

मनोहरलाल और अन्य। , (2020) 8 एस. सी. सी. 129, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें कहा गया है कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं, टिकाऊ नहीं है।

4.8 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि द्वारा कई प्रस्तुतियाँ करने की मांग की गई है -

ए. पी. एम. सी. अधिनियम, 2013 के अधिनियमन और अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण पर अधिनियम, 2013 के प्रभाव को देखते हुए अधिनियम, 1894 को निरस्त करने पर। हालाँकि, नीचे बताए गए कारणों के लिए और चूंकि उच्च न्यायालय ने धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं की वैधता पर किसी भी प्रस्तुतिकरण/मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) की प्रयोज्यता पर विचार और विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं, इसलिए हम मामले को उच्च न्यायालय को भेजने का प्रस्ताव करते हैं ताकि दूसरे पर निर्णय लिया जा सके। कानून और गुण-दोष के अनुसार नए सिरे से उठाए गए मुद्दे। इसलिए, हमने श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और यहां तक कि श्री सी. यू. सिंह, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं किया है-अन्य मुद्दों पर गुण-दोष पर विश्वास करें। इसलिए, हमने वर्तमान अपीलों पर विचार को उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश तक सीमित कर दिया है

यह घोषणा करते हुए कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वी. एन. रघुपति ने अपीलार्थी-एपीएमसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और रद्द करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली रिट अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लंबित है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यदि यह माननीय न्यायालय मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजने का प्रस्ताव करता है, तो उस मामले में, उपरोक्त अपील पर पहले उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए। 6. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने इन सभी अपीलों का जोरदार विरोध किया है-ट्रस्ट

- मूल भूमि स्वामी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-न्यास विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है और आश्रम का संचालन कर रहा है।

न्यास के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी-न्यास कोई साधारण व्यक्तिगत भूमि स्वामी नहीं है। कि ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन भूमि [2022] 4 एस. सी. आर.

इसे वर्ष 1960 में खरीदा गया था और इसका उपयोग गांधीवादी गतिविधियों को अंजाम देने और न्यास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि राज्य सरकार/ए. पी. एम. सी. का विषय भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई मुआवजा देने का कोई इरादा नहीं है और तदनुसार, भूमि अधिग्रहण को छोड़ने या जानबूझकर इसे समाप्त करने की अनुमति देने का फैसला किया।

6.2 श्री सिंह, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-ट्रस्ट ने भी वैधता पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं और अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं की वैधता

क्रमशः 172 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में। हालाँकि, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को घोषित और रद्द नहीं किया है और यह अभिनिर्धारित और घोषित किया है कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं और उच्च न्यायालय ने उनके समक्ष रखे गए अन्य मुद्दों पर बिल्कुल भी निर्णय नहीं लिया है। हम अन्य मुद्दों पर किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और हम वर्तमान अपीलों को सीमित करते हैं।

उच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा और यह अभिनिर्धारित करना कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं और अन्य मुद्दों के लिए हम मामले को उच्च न्यायालय को भेजने का प्रस्ताव करते हैं।

6.3 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है और यह घोषणा करते हुए कि अधिग्रहण समाप्त हो गए हैं

अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत, श्री सिंह ने प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाना-ट्रस्ट ने निष्पक्ष रूप से

यह स्वीकार किया कि इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गए हैं, अस्थिर है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और यहां तक कि विद्वान डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय ने उस समय प्रचलित कानून पर विचार करते हुए, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामलों का फैसला किया था, ऐसा ठहराने में सही था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रासंगिक समय में प्रचलित कानून का पालन किया और विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामलों का फैसला किया

तदनुसार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। 7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

कृषि उत्पाद विपणन समिति

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

8. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 1998 की रिट याचिका संख्या 3884 के माध्यम से उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही 172 एकड़ 22 गुंटा भूमि के अधिग्रहण के संबंध में थी। 1998 की रिट याचिका संख्या 3884 में, मूल भूमि मालिकों ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना कीः -

घोषणा करें कि पूरी अधिग्रहण कार्यवाही शुरू हो रही है।

((i)

प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र जारी करने के साथ

3.9.1994 अनुलग्नक के रूप में चिह्नित-रिट याचिका में ए भूमि की धारा 11 ए के संदर्भ में दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिए जाने के कारण समाप्त हो गया है।

अधिग्रहण अधिनियम।

((ख)

प्रमाण पत्र या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

अनुलग्नक-ए को रद्द करने के लिए, प्रारंभिक अधिसूचना एल. ए. क्यू. (2) एस. आर./32/94-95 दिनांक 2.9.1994 सार्वजनिक करें

कर्नाटक राजपत्र दिनांक 3.9.1994 और अंतिम अधिसूचना सं. आर. डी. डी. 21 एल. ए. क्यू. 96 दिनांकित 10.10.1996

कर्नाटक राजपत्र दिनांक 31.10.1996 में प्रकाशित।

संशोधन के माध्यम से मूल रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों ने यह घोषणा करने का भी अनुरोध किया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों को देखते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है। 8.1 याचिका सं. लिखें। 37140-37146 मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2000 का-मूल भूमि मालिक 100 एकड़ के संबंध में थे

अधिग्रहित भूमि। उक्त रिट याचिकाओं में मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना कीः -

प्रमाणपत्र का एक रिट या कोई अन्य रिट या आदेश जारी करें, रद्द करना।

((i)

दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा जारी एल. ए. सी. (2) एस. आर. 2/99-2000 में 17.04.1999 पर राजपत्रित अनुलग्नक-बी दिनांकित 13.04.1999 पर आक्षेपित अधिसूचना और 26.10.1999 दिनांकित 18.11.1999 पर राजपत्रित सं.

Kam.E.68। प्रथम उत्तरदाता द्वारा जारी ए. क्यू. 8-99।

या

वैकल्पिक रूप से उत्तरदाताओं को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दें

((ख)

बैठक की कार्यवाही के संदर्भ में याचिकाकर्ता को

दिनांक 29.04.1999 वीडियो अनुलग्नक-डी [2022] 4 एस. सी. आर.

संशोधन के माध्यम से मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने यह भी घोषणा करने का अनुरोध किया कि अधिग्रहण की कार्यवाही के तहत समाप्त हो गई है

अधिनियम, 2013 के प्रावधान। 8.2 कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार के लिए निम्नलिखित सामान्य बिंदुओं को तैयार कियाः -

क्या इन याचिकाकर्ताओं के निपटान को स्थगित किया जाना चाहिए

ए।

भूमि न्यायाधिकरण, बैंगलोर उत्तर तालुक द्वारा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत या अन्यथा अतिरिक्त जोत का निर्णय और निर्धारण लंबित है।

बी।

क्या विचाराधीन भूमि के किसी हिस्से का कब्जा

कहा जा सकता है कि एपीएमसी को दिया गया है

वैध और कानून के अनुसार।

क्या एल. ए. अधिनियम की धारा 17 का आह्वान

सी।

उसी उद्देश्य के लिए भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण

उचित था।

क्या अधिग्रहण प्राधिकरण स्थगन रख सकता है

डी।

भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष भूमि के संबंध में कार्यवाही के निपटारे तक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान या जमा करने का अधिदेश। क्या अधिग्रहण की कार्यवाही पुण्य के आधार पर समाप्त हो गई है

ई.

2013 का अधिनियम।

इस तथ्य के बावजूद कि अधिग्रहण की वैधता और वैधता पर उच्च न्यायालय के समक्ष कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे

कार्यवाही में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल एक मुद्दे का फैसला किया, अर्थात्, क्या अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गई है। जबकि कई मुद्दे/आधार उठाए गए थे और इस तरह से मांगी गई मूल राहत (अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण कार्यवाही) मुख्य राहत थी जिन पर विचार करने और विचार करने की आवश्यकता थी, दुर्भाग्य से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य मुद्दों/आधारों पर निष्कर्ष नहीं दिए और मांगी गई राहत पर और जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल एक राहत/आधार पर विचार करते हुए रिट याचिकाओं का निपटारा किया, अर्थात्, क्या अधिग्रहण कार्यवाही 2013 अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गई है। जब अन्य मुद्दों/आधारों पर कई प्रस्तुतियाँ की गई थीं, तो हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को

अन्य मुद्दों पर विचार किया और अन्य मुद्दों पर भी निष्कर्ष दिए जाने चाहिए थे। अन्य मुद्दों पर निर्णय न लेने और कृषि उत्पाद विपणन समिति पर निर्णय न लेने के कारण

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

केवल एक मुद्दे पर मामला और उसके बाद जब ऐसे एक मुद्दे पर निर्णय, नीचे बताए गए कारणों से कानूनी रूप से गलत माना जाता है, तो इस न्यायालय के पास अन्य सभी मुद्दों पर रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामलों को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

8.3 सादृश्य के माध्यम से हम देखते हैं कि आदेश 14 नियम 2 (जैसा कि संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 01.02.1977) पर विचार करते हुए, यह न्यायालय नुस्ली नेविल वाडिया बनाम के मामले में है। आइवरी प्रॉपर्टीज एंड ओआरएस, (2020) 6 एससीसी 557 , यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि डब्ल्यू. ई. एफ. 01.02.1977 संशोधन के बाद, यद्यपि आदेश 14 नियम 2 (2) न्यायालय को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून के मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, यदि यह (i) न्यायालय की अधिकारिता या (ii) किसी भी कानून द्वारा बनाए गए वाद से संबंधित है, तो संशोधित प्रावधान में एक विचलन किया गया है, जिसके तहत अब यह अदालत को सभी मुद्दों पर निर्णय देने के लिए अनिवार्य करता है, भले ही प्रारंभिक मुद्दे पर किसी मामले का निपटारा किया जा सके। यह आगे देखा जाता है

इस प्रस्थान के पीछे का इरादा अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अपील योग्य मामले में रिमांड से बचना है। 8.4 इसलिए अदालतों को सभी मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए और सभी मुद्दों पर अपने निष्कर्ष देने चाहिए, न कि केवल निर्णय सुनाने के लिए।

एक मुद्दे पर। इस प्रकार यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे सभी मुद्दों पर निर्णय लें और केवल एक ही मुद्दे पर निर्णय सुनाने के बजाय सभी मुद्दों पर निर्णय दें। इस तरह की प्रथा से अपीलीय अदालत पर बोझ बढ़ेगा और कई मामलों में यदि निर्णय किए गए मुद्दे पर निर्णय गलत पाया जाता है और अन्य मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं होता है और अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तो अपीलीय अदालत के पास अपने नए निर्णय के लिए मामले को रिमांड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए, इस तरह की घटना से बचने के लिए, अदालतों को एक मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर निर्णय लेना होगा।

मामला दर्ज करें और इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय दें।

9. अब, जहाँ तक विवादित सामान्य निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की घोषणा है कि अधिग्रहण की कार्यवाही है

अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत व्यपगत होने का संबंध है, यह संविधान के निर्णय को देखते हुए अस्थिर है।

इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में इस न्यायालय की पीठ (ऊपर)। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 365 और 366 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है: -

" 365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में दिया गया निर्णय

कॉर्प. [पुणे नगर निगम। वी. हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी (2014) 3 एस. सी. सी. 183: (2014) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 274] इसके द्वारा [2022] 4 एस. सी. आर. है।

खारिज कर दिया गया और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल है। [पुणे नगर निगम। वी. हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी (2014) 3 एस. सी. सी. 183: (2014) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 274] का पालन किया गया है, इन्हें भी खारिज कर दिया गया है। श्री बालाजी नगर में निर्णय

आवासीय एसोसिएशन। [श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन। वी. टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 298] को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र [इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (2018) 3 एस. सी. सी. 412: (2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 426], धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" या "के रूप में पढ़ा जाना है" और "को विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं

निम्नानुसारः

2013 अधिनियम, कार्यवाही में कोई चूक नहीं है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। 366.2 . यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही प्रदान की गई अवधि के अनुसार जारी रहेगी।

2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत 1894 के अधिनियम के तहत मानो इसे निरस्त नहीं किया गया है।

366.3 . अधिकार के बीच धारा 24 (2) में प्रयुक्त शब्द "या"

न तो जमीन का कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है। 366.4 . 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।

कृषि उत्पाद विपणन समिति

एन. जी. एल. ओ. आर. वी. कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में दिया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामियों के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। धारा के तहत दायित्व के मामले में

31 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को पूरा नहीं किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति जमा न करने (अदालत में) के परिणामस्वरूप भूमि का पतन नहीं होता है।

अधिग्रहण की कार्यवाही। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न होने की स्थिति में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

366.5 . यदि किसी व्यक्ति को मुआवजे की पेशकश की गई है बशर्ते कि 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत, यह दावा करने के लिए उसके लिए खुला नहीं है कि अधिग्रहण धारा 24 (2) के तहत भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण समाप्त हो गया है। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था

या जिसने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा है, वह यह दावा नहीं कर सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

2013 का अधिनियम।

366.6 . 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।

366.7 . 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार कब्जा लेने पर पुरस्कार दिया जाता है 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत, राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद धारा के तहत कोई चूक नहीं होती है

24 (2) .

366.8 . धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में अपनी निष्क्रियता के कारण विफल हो जाते हैं। 2013 के अधिनियम के लागू होने से पाँच साल या उससे अधिक समय पहले,

1-1-2014 पर संबंधित प्राधिकारी के पास लंबित भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

366.9 . 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है। धारा 24 लंबित कार्यवाही पर लागू होती है।

2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि अर्थात 1-1-2014। यह पुराने और समय-वर्जित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है या अदालत को अमान्य करने के बजाय खजाने में मुआवजे के जमा करने के तरीके पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।

अधिग्रहण "।

हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इस न्यायालय ने यह राय दी है कि सभी निर्णय पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद के आधार पर दिए गए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) में अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) में की गई व्याख्या को देखते हुए मिसिरीमल सोलंकी [(2014) 3 एस. सी. सी. 183] को खारिज कर दिया गया है। धारा के आधार पर अधिग्रहण की समाप्ति की मांग करते हुए भूमि मालिकों द्वारा नए मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति रही है

24 (2) अधिनियम, 2013 के तहत, हालांकि ऐसे भूमि मालिकों ने पहले अधिग्रहण अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए असफल रिट याचिकाएं दायर की होंगी। हो सकता है कि ऐसे भूमि मालिकों को अधिग्रहण प्रक्रिया या बेदखल करने में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेशों का लाभ मिला हो, जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कार देने और मुआवजे के भुगतान/जमा करने में देरी हुई हो और इसके परिणामस्वरूप अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया गया हो। उच्च न्यायालय या यहां तक कि दीवानी अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के कारण पुरस्कार पारित करने में देरी होने के कारण, जहां अधिग्रहण निकायों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हो सकते हैं, भूमि मालिक अब इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं ताकि यह तर्क दिया जा सके कि कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और परिणामस्वरूप मुआवजे का कोई भुगतान या जमा नहीं किया गया है और अधिग्रहित भूमि का कब्जा उनके पास जारी है। भूमि मालिकों को उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में उनके पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेशों का लाभ मिला था अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत लाभ नहीं ले सकता है। उच्च न्यायालय या दीवानी अदालतों को, जिन्होंने भूमि मालिकों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिए हों, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) को भूमि के पक्ष में लागू करने से पहले उपरोक्त पहलू पर विचार करना चाहिए।

10. इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त घोषित करते समय लिया गया दृष्टिकोण कृषि उत्पाद विपणन समिति है।

बैंगलोर वी। कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

यह टिकाऊ नहीं है और इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बिल्कुल विपरीत है। वैसा ही है

मूल रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश में रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई है और यह घोषणा की गई है कि अधिग्रहण की कार्यवाही के संबंध में

अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत लैप्स की गई भूमि को रद्द नहीं किया जा सकता है और वे रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य हैं।

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, हालांकि अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता पर कई अन्य मुद्दे उठाए गए थे और हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए अन्य बिंदु उठाए गए थे/तैयार किए गए थे, क्योंकि इनमें से किसी भी मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारे पास रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने और अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत अधिग्रहण की समाप्ति के अलावा अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय को उठाए गए सभी मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए था और केवल एक मुद्दे पर निर्णय लेते हुए, जो गलत पाया गया है, रिट याचिकाओं का निर्णय और निपटान नहीं करना चाहिए था। डिवीजन बेंच ने भी मामले के इस पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है।

12. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी अपीलों की अनुमति है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश के साथ-साथ रिट याचिका (ओं) संख्या 3884/1998 और संख्या में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश। 37140-37146 / 2000 एतद्वारा रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं। उपरोक्त रिट याचिकाओं पर नए सिरे से और कानून के अनुसार और उनके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने और उनका निपटारा करने के लिए मामलों को विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय लेंगे जिन्हें ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया था और विचार के लिए बनाए गए सभी बिंदुओं पर निर्णय सुनाएँ। द.

उपरोक्त प्रक्रिया वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने इन मामलों के गुण-दोष पर, अन्य मुद्दों पर किसी भी पक्ष के पक्ष में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और यह है

अंततः विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए [2022] 4 एस. सी. आर. से निपटने और उस पर विचार करने के लिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कानून के साथ और अपने स्वयं के गुणों पर तालमेल बनाए रखें। अधिनियम, 2013 के आधार पर अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में मुद्दे को छोड़कर अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय लेने और फैसला सुनाने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को रिमांड भी किया जाता है। सभी को तदनुसार अनुमति दी गई।इसलिए निरीक्षण करें और निर्देश दें कि 2021 की रिट अपील No.1089 पर निर्णय लिया जाए और 31.12.2022 पर या उससे पहले उसका निपटारा किया जाए।

लागत के बारे में कोई आदेश न दें।

अपीलों की अनुमति दी गई।

महेंद्र यादव, एलसीआरए)